<u>**प्रेस नोट**</u>

<u>**दिनांक 15.03.2024**</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा आगामी लोक सभा चुनाव- 2024, होली, रमजान माह व नागरिकता संशोधन अधि0 लागू होने के दृष्टिगत जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने हेतु अर्धसैनिक बल (CISF) एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में किया गया रूट मार्चः-

आज दिनांक 15.03.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव – 2024, **होली, रमजान माह व भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के दृष्टिगत** जनता में शांति व सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने के दृष्टिगत व जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अर्धसैनिक बल (CISF) एवं पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों/कस्बा में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव-2024, **होली, रमजान माह व भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के** दृष्टिगत आमजन को स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान करने, आगामी त्योहारों को शान्तिपूर्ण व भयमुक्त होकर खुशी के वातावरण में त्योहार को मनाने तथा अवांछनीय व आपराधिक किस्म के व्यक्तियों में भय व्याप्त करने हेतु एरिया डॉमिनेशन कर आमजन मानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। लोकसभा चुनाव में लोगों को कानून व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग करने तथा आमजन को भयमुक्त व निडर होकर मतदान करने की अपील की गई तथा सभी को चुनावो में बढ-चढकर मतदान करने हेतु प्रोत्साहित किया गया साथ ही अवगत कराया गया कि लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी करने वालो पर पुलिस की पैनी नजर है तथा ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। चुनाव के दौरान किसी तरह की अफवाह न फैलाये न फैलने दे, अफवाह फैलाने वाले तत्वो पर भी पुलिस द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। इसके साथ ही लोगो को बताया गया कि चुनावों के दौरान किसी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले लोगो पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

रूट मार्च **के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजेश सिंह व CISF फोर्स व पुलिस बल मौजूद रही।**

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.03.2024, थाना कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फ़सला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 39/2024, धारा 363, 376(2)N भादवि व 5(L)(J2)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. मोनू उर्फ मुकद्दर पुत्र हसमत अली निवासी लोहराजोत गिर्द गोण्डा थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा को थाना कोतवाली नगर पुलिस के अथक प्रयास से गोण्डा फैजाबाद रोड़ के हड्डी मिल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिया कि मेरी लड़की खेत में घास काटने गयी थी विपक्षी द्वारा मेरी लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 39/2024, धारा 366 भादवि बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15.03.2024 को थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. मोनू उर्फ मुकद्दर पुत्र हसमत अली को थाना कोतवाली नगर पुलिस के अथक प्रयास से गोण्डा फैजाबाद रोड़ के हड्डी मिल के पास थाना कोतवाली नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिंता के वयान के आधार पर अभियोग में धारा 376(2)N भादवि व 5(L)(J2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. मोनू उर्फ मुकद्दर पुत्र हसमत अली निवासी लोहराजोत गिर्द गोण्डा थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 39/2024, धारा 363, 376(2)N भादवि व 5(L)(J2)/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 बृजेश कुमार

02. का नीलेश कुमार

05. का0 पंकज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 15.03.2024

थाना को0नगर क्षेत्र अन्तर्गत जानलेवा हमला करने की घटना में संलिप्त 01 और अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त बृजेश गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी महादेवा पोस्ट केशवपुर पहड़वा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गंगापुर गोसाईपुरवा नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.10.2023 को वादी राम महेश गिरि पुत्र द्वारिका गिरि नि0 महादेवा पो0 केशवपुर पहड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.10.2023 को प्रधान नरेन्द्र कुमार गिरि की छत पड़ रही थी उक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर बिना किसी कारण वस गाली-गुप्ता देते हुए लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे थे जिससे मेरे भाई रमेश गिरि व प्रधान जी को गम्भीर चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में मु0अ0सं0-925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि बनाम आकाश गिरी आदि 08 नफर अभियुक्तों के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था आज दिनांक 15.03.2023 को नामजद अभियुक्त बृजेश गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी महादेवा पोस्ट केशवपुर पहड़वा थाना को0नगर जनपद गोण्डा को गंगापुर गोसाईपुरवा नहर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश गिरी पुत्र ईश्वरदीन गिरी निवासी महादेवा पोस्ट केशवपुर पहड़वा थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 925/23 धारा 147,148,149,324,307,323,504,506 भादवि थाना कोतवाली नगर गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 पिंटू कुमार यादव थाना को0 नगर।
02. का0 नितेश कुमार शाव
03. का0 राजेश कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.03.2024, थाना उमरीबेगमगंज
जनपद गोण्डा।

थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 392/2023, धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 01. संजय उर्फ संजय कुमार पासी पुत्र रामसूरत निवासी टेडही माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस के द्वारा सिसई मोड़ चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज पर सूचना दिया कि मेरी बहन को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में मु0अ0सं0- 392/2024, धारा 363, 366 भादवि बनाम संजय कुमार पासी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15.03.2024 को थाना उमरीबेगमगंज की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. संजय उर्फ संजय कुमार पासी पुत्र रामसूरत निवासी टेडही माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस के द्वारा सिसई मोड़ चौराहे के पास थाना उमरीबेगमगंज से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. संजय उर्फ संजय कुमार पासी पुत्र रामसूरत निवासी टेडही माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 392/2023, धारा 363, 366 भादवि थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री राजीव यादव
02. का0 जयप्रकाश उपाध्याय

मीडिया सेल, गोण्डा।